

कार्यालय अध्यक्ष नगर विकास न्यास (कलक्टर) भरतपुर

अपील / आरटीआई / 138 / 2019

श्री सूरज कुमार दीक्षित सेठ का मठ गोपालगढ, भरतपुर

बनाम

सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 19.12.2019

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्त श्री सूरज कुमार दीक्षित सेठ का मठ गोपालगढ, भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 30.09.2019 के द्वारा सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर सूचना चाही गयी थी। सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/1056 दिनांक 13.12.2019 से सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर से अप्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक/2973 दिनांक 19.12.2019 शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाएं सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्त ने सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर से उक्त सूचनाएं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक/2973 दिनांक 19.12.2019 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को समस्त सूचनाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। अपने कथनों की ताईद में पत्र क्रमांक/2932 दिनांक 24.10.2019 एवं 2940 दिनांक 01.11.2019 की प्रतियां भी संलग्न की गई हैं। रेस्पों ने अपीलान्त को सम्पूर्ण सूचना भिजवाई दी गई हैं।

अस्तु अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति) भेजी जावे। निर्णय की प्रति सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर को प्रेषित की जावे।

(नथमल डिडेल)
अध्यक्ष (कलक्टर)
नगर विकास न्यास
भरतपुर

